राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

आवश्यक सूचना

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या 09/2018 {PR. No. 7945 (Ni Ni) 2018-19} के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन सदर अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक (Specialist Doctor) के संविदागत पदों पर चयन/नियोजन हेतु दिनांक 30.09.2018 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त पदों के विरूद्ध निर्धारित तिथि तक प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का Counselling (प्रमाण-पत्र सत्यापन) किया जाना है। उक्त हेतु पदवार अभ्यर्थियों की सूची राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर प्रकाशित कर दिया गया है।

2. अभ्यर्थियों के Counselling (प्रमाण-पत्र सत्यापन) हेतु पदवार निम्नलिखित तिथि को **10:00 AM - 03:00 PM** के बीच समय निर्धारित किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी को सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं उसका एक सेट स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है:-

क्र.सं.	पदनाम	रौल नम्बर	Counselling की तिथि	Venue
1.	MD Medicine	18091001-18091066	01.11.2018 (गुरुवार)	राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14
2.	ENT	18092001-18092048		
3.	Ophthalmologist	18093001-18093074	02.11.2018 (शुक्रवार)	
4.	Dermatologist	18094001-18094015		
5.	Psychiatrist	18095001-18095021		

अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि को Counselling में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो वे **दिनांक 03.11.2018 (शनिवार) अथवा 05.11.2018 (सोमवार) को 10:00 AM-03:00 PM तक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा पटना-14 में** Counselling हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

3. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, मैट्रिक का मूल प्रमाण-पत्र (जन्मतिथि हेतु), MBBS का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र (समेस्टरवार/सत्रवार), MD/MS/DNB/Diploma के उर्त्तीणता संबंधी प्रमाण-पत्र, MCI/State Medical Registration Council का प्रमाण-पत्र (यदि हो तो) तथा अभ्यर्थी यदि आरक्षण कोटि का दावा करते हैं तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र तथा पिछड़ा वर्ग/अतिपिछड़ा वर्ग के लिए निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है। उपर्युक्त आरक्षण संबंधित प्रमाण-पत्र Counselling के समय प्रस्तुत नहीं कराने पर उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा और इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

4. उक्त तिथि को Counselling में उपस्थित नहीं होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी एवं उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप उन्हें मेधासूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

5. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट- www.statehealthsocietybihar.org पर Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाईट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी। प्रमाण-पत्र सत्यापन में शामिल होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

कार्यपालक निदेशक

25/10/18